छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-13

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री इन्द्र साव को जन्मदिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

4. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 मार्च से 20 मार्च, 2025 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य 11 बजे से लेकर 5 बजे तक शिविर का लाभ उठायें।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023,

(2) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ1-136/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025, तथा

(3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-22,

पटल पर रखे।

6. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी का ध्यानाकृष्ट किया कि- 2 दिन पहले 12 तारीख को भारतमाला परियोजना से संबंधित उनका जो प्रश्न था, उस पर सभा में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा इसकी जांच कमिश्नर के द्वारा कराये जाने की बात कही गई। इस बीच कैबिनेट की बैठक में ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रश्न पर यहां विचार चल रहा था, क्या उस प्रश्न को ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराएंगे या उसके बाद के आने वाले विषयों की ई.ओ. डब्ल्यू. से जांच कराएंगे ? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रश्न पर चर्चा चल रही हो या जिस विषय पर यहां बात हो रही हो, अगर उसका कोई निर्णय अलग से लिया जाता है तो विधान सभा के अंदर उस निर्णय को लेना चाहिए।

यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह सदन को गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम इस तरह सदन के जो नियम कानून और परम्परा हैं, उसका पालन कर रहे हैं। ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने के निर्णय में कितने नए काम को जांच कराने की बात हुई है या पुराने काम को जांच कराने की हुई है ?

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सामान्यत: यह परम्परा है और सदन की अपेक्षा भी है कि यदि सदन चल रहा है और इस अवधि में यदि कोई जांच संबंधी घोषणा की जाती है तो सदन के संज्ञान में यह विषय लाया जाए और चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष का इस विषय में प्रश्न था या उस पर चर्चा हुई थी, इसलिए शासन जो सदन में बताना चाहता है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या वे इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे ? यदि आपको वक्तव्य देना है तो सदन की आज की कार्यवाही के चलते भी दे सकते हैं, आपको तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आप इसकी रिपोर्ट मंगाकर अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस संबंध में कथन किया कि वे सदन में वक्तव्य देंगे।

माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, अजय चन्द्राकर ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किये ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में एन.जी.ओ. द्वारा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का मतांतरण के लिये उपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती चातुरी नंद

(2) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

(3) श्रीमती रायमुनी भगत

(4) श्री पुन्नूलाल मोहले

(5) श्री कुंवर सिंह निषाद

10. माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सभा को संबोधन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों को सभा भवन में संबोधित किया जायेगा। अत: छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271-ख को शिथिल कर सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

11.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

12. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री दलेश्वर साहू

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री रामकुमार यादव, नीकण्ठ टेकाम, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती गोमती साय, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती रायमुनी भगत

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, प्रबोध मिंज, जनक ध्रुव, प्रणव कुमार मरपची, अजय चन्द्राकर

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा के समय में 7.30 बजे तक वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. वक्तव्य

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री द्वारा भारतमाला परियोजना में भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा भुगतान में अनियमितता संबंधित प्रकरण की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. से कराए जाने के शासन के निर्णय के संबंध में वक्तव्य दिया।

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

14. बहिष्कार

(डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर सभा की शेष कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।)

15. सदन को सूचना

भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) रायपुर द्वारा दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्रीगणों को छोड़कर छत्तीसगढ़ विधान सभा के शेष समस्त माननीय सदस्यों हेतु शनिवार एवं रविवार, क्रमश: दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2025 को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी पृथकत: वितरित की जा रही है। तद्नुसार उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप समस्त माननीय सदस्यगण सम्मिलित होकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लेवें।

16. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या-3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या- 4, जेल से संबंधित मांग संख्या-5, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या- 80, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या-46, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या- 47, प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री धर्मजीत सिंह सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रोहित साहू

(माननीय सभापति ने कथन किया कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण अनुपस्थित हैं। स्वस्थ संसदीय परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) की अनुदान मांगों पर शेष चर्चा कल करायी जायेगी, जिससे प्रतिपक्ष के सदस्यगण भी अपनी सहभागिता दे सकेंगे।)

सायं 7.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 (फाल्गुन-27, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा